बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक...............................

संoसंo–03/उoनिo/प्रशिक्षण(खादी)–02–13/2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हक),

बिहार, पटना।

द्वारा :–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 700 (सात सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को खादी प्रक्षेत्र के विभिन्न ट्रेडों यथा–खादी वस्त्र निर्माण/सावुन निर्माण सह ई०डी०पी०/अगरबत्ती निर्माण सह ई०डी०पी०/लहठी निर्माण सह ई०डी०पी०/मधुमक्खी निर्माण सह ई०डी०पी०/लघु कटाई निर्माण सह ई०डी०पी०/वस्त्र बुनाई निर्माण सह ई०डी०पी० में गैर–आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹95,96,400.00 (पन्चानवे लाख छियानवे हजार चार सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के 700 (सात सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों खादी वस्त्र निर्माण/सावुन निर्माण सह ई०डी०पी०/अगरबत्ती निर्माण सह ई०डी०पी०/लहठी निर्माण सह ई०डी०पी०/मधुमक्खी निर्माण सह ई०डी०पी०/लघु कटाई निर्माण सह ई०डी०पी०/वस्त्र बुनाई निर्माण सह ई०डी०पी० में गैर–आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹95,96,400.00 (पन्चानवे लाख छियानवे हजार चार सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

(2) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को खादी उत्पाद के विभिन्न प्रेक्षत्र में प्रशिक्षण सह ई०डी०पी० द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय उद्यमिता विकास संस्थान, पटना के पत्र सं०–458 दिनांक– 29.11.2018 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(4) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के विभिन्न जिलों यथा गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, मोतीहारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं औरंगाबाद में चलाया जाएगा।

(5) राशि का व्यय वहन निम्नरूपेण किया जाएगा :–

क्र०सं०	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्य शीर्ष 2851– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खादी ग्रामोद्योग, उपशीर्ष 0101– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग को सहायक अनुदान, मांग सं०–23–उद्योग विभाग, विपत्र कोड 23–2851001050101, के विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹95,96,400.00 (पनचानवेर लाख छियानवेर हजार चार सौ रूपया) मात्र
	कुल राशि :–	₹95,96,400.00

(6) प्रस्तावित व्यय के लिए यथेष्ठ बजट उपबन्ध उपलब्ध है।

(7) प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति के रूप में दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते में RTGS/चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भगुतान किया जाएगा।

(8) प्रशिक्षणोंपरान्त संस्थान द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उद्योग निदेशक, बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग निदेशक द्वारा जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन महालेखाकार, पटना को प्रेषित किया जाएगा।

(9) थर्ड पार्टी एसेसमेंट खादी प्रक्षेत्र के प्रतिष्ठित यथा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग शेखपुरा पटना/एटीडीसी पटना से कराना होगा। इनके चयन के लिए उद्यमिता विकास संस्थान स्वतंत्र होगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(10) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता नं0–P.L.A-277 में उपलब्ध करायेगें।

(11) उद्योग मित्र में रक्षित राशि को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी बोर्ड, पटना द्वारा उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(13) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।

(14) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण (खादी)–02–13/2018 के पृष्ठ 02/टि0 पर दिनांक–07.12.2018 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0सं0–3261/IDC दिनांक–19.12.2018 हैं।

(15) राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–03/उ0नि0/ प्रशिक्षण (खादी)–02–10/2018 के पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 31.12.2018 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–73/IFA दिनांक–31.12.2018 है।

(16) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 116/ पटना, दिनांक 7.1.19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।